

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : स. 3(5)(2)स्था./मंत्रा/अभि./16/ 776-785


जयपुर, दिनांक:- 28.12.2020

आदेश

अभियोजन निदेशालय के आदेश क्रमांक 3-6(8)स्था/मंत्रा/अभि/20/9724-67 दिनांक 26.08.2020 द्वारा श्री प्रहलाद मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, टोंक को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 01.12.2020 से पदोन्नत किया गया है। श्री प्रहलाद मीणा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पदस्थापन कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, टोंक में किया जाता है।

इसके अलावा श्री रामकरण बैरवा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, टोंक का स्थानान्तरण अभियोजन निदेशालय में प्रशासनिक अधिकारी के पद के विरुद्ध किया जाता है।

दोनों स्थानान्तरण स्वेच्छक है, इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देया नहीं होगा। संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त कर्मचारीगण की कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।


(राजेन्द्र कुमार सेनी)
निदेशक अभियोजन,

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन।
5. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन -----।
7. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर